केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 10.06.2017

सी.बी.आई. ने बैंक के साथ की गई 122.49 करोड़ रू. (लगभग) की धोखाधड़ी के आरोप पर प्राइवेट कंपनी के निदेशकों एवं अन्यों सहित छ: आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया

सी.बी.आई. ने दी डेवेलपमेन्ट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड, नई दिल्ली (विदेशी बैंक) की शिकायत, जिसमें वर्ष 2007-2012 के मध्य उक्त बैंक के साथ की गई 122.49 करोड़ रू. (लगभग) की धोखाधड़ी का आरोप है, के आधार पर दिल्ली की प्राइवेट कम्पनी के निदेशकों/ प्रोत्साहकों ; दिल्ली की प्राइवेट फर्म तथा अज्ञात व्यक्तियों सहित छ: आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी एवं 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया ।

ऐसा भी आरोप था कि प्राइवेट कम्पनी सुगन्धित मिश्रणों के निर्माण एवं कृषि आधारित वस्तुओं की खरीद फरोख्त के व्यापार से जुड़ी थी तथा कृषि आधारित वस्तुओं व सुगन्धित मिश्रणों की जाली बिक्री एवं खरीद दर्शाने के लिए उक्त कम्पनी के निदेशकों, फर्मो व कम्पनियों की व्यवस्था करते थे। ऐसा आगे आरोप था कि कम्पनी द्वारा किए गए दावे के अनुसार सुगन्धित द्रब्य का भण्डारण 887 करोड़ रू. (लगभग) मूल्य का था। जब एफ.एफ.डी.सी. द्वारा मूल्यांकन किया गया तो यह कथित रूप से 4.83 करोड़ रू. (लगभग) मूल्य का पाया गया। आरोपियों ने कथित रूप से साख सीमा बढ़ाने के लिए बैंक के पास मूल्यवान प्रत्याभूत के साथ ही साथ जाली एवं बनावटी दस्तावेजों को जमा किया।

आरोपी के दिल्ली स्थित परिसरों में आज तलाशी की जा रही है।

यह भी ज्ञात हुआ कि उक्त प्राइवेट कम्पनी ने 2240 करोड़ रू. (लगभग) की कुल धन राशि के लिए बैंकों के संघ के साथ भी धोखाधड़ी की। दिल्ली स्थित उक्त प्राइवेट कम्पनी के निदेशकों एवं अन्यों सहित चार आरोपियों को दिनांक 11.04.2017 को सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया गया और वर्तमान में, वे न्यायिक हिरासत में है। अब तक, सीबीआई के द्वारा छ: मामले दर्ज किये जा चुके है।

आगे की जांच जारी है ।

****